राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 7 (47) परि/नियम/मु0/87/पार्ट–II जयपुर,दिनांक : 25.03.2009
26

कार्यालय आदेश 06/2009

बिना वैध परमिट वाहन संचालन अथवा परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वाहन संचालन संबंधी अपराध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192ए के अन्तर्गत आते हैं तथा उक्त धारा में वर्णित अपराध धारा 200 के तहत प्रशमन योग्य नहीं है। यद्यपि परमिट शर्तों की उल्लंघन संबंधी अपराध 85 (6) के तहत प्रशमन किये जा सकते हैं। इसलिए विभाग ने पर्यटक वाहन को छोडकर अन्य वाहनों के परमिट शर्तों के उल्लघंन संबंधी अपराध को प्रशमन करने के अधिकार उप परिवहन निरीक्षक स्तर तक प्रत्यायोजित कर रखे हैं। वाहनों के अवैध संचालन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ही बिना वैध परमिट वाहन संचालन संबंधी अपराध प्रशमन योग्य नहीं बनाये हैं। बिना वैध परमिट के संचालित वाहन को जब्त करने के उपरान्त प्रशमन राशि वसूल कर तुरन्त छोडने से अवैध वाहन संचालन को प्रोत्साहन मिलता है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प 7(47) परि/नियम/मु0/87/पार्ट–II जयपुर, दिनांक: 24.02.2009 में प्रशमन किये जाने वाले अपराधों की सूची में परमिट संबंधी अपराध हटा दिये हैं। लेकिन अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि बिना परमिट वाहन संचालन संबंधी अपराध प्रशमन योग्य ना होते हुए भी कतिपय: जिला परिवहन अधिकारियों परिवहन निरीक्षकों/ उप निरीक्षकों द्वारा उक्त अपराध का प्रशमन किया जा रहा है। अतः अवैध संचालन को अंकुश लगाने के उद्देश्य से निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. बिना वैध परमिट के वाहन संचालन पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रशमन नहीं किया जावे। उपरोक्त प्रकार के वाहन पर राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम व मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावे। यदि कोई यात्री वाहन बिना परमिट के भाडे या पारिश्रमिक पर चलते पाये जावें तो ऐसे वाहन से गैर अस्थाई संविदा परमिट वाहन के अन्तर्गत आने

वाले यानों के लिए यथासूचित विशेष पथ कर राशि वसूल की जावे। मोटर वाहन अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही हेतु धारा 208 के अन्तर्गत प्रकरण को निस्तारण हेतु चालान संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत किया जावे अथवा धारा 53 के अन्तर्गत वाहन के पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही की जावे। ऐसे विशेष प्रकरण, जिनमें मानवीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए जब्त वाहन को तुरन्त छोडा जाना आवश्यक है, में संबंधित जिला परिवहन अधिकारी, लिखित में कारण उल्लेख करते हुए एवं नियमानुसार समस्त कर वसूल कर तथा मोटर वाहन अधिनियम में पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही हेतु वाहन की पंजीयन पुस्तिका रखते हुए वाहन छोड सकते हैं।

2. धारा 66 (3) में उल्लेखित परिस्थितियों के अलावा यदि कोई यात्री वाहन अपने निर्धारित मार्ग अथवा निर्धारित क्षेत्र से बाहर संचालित पाया जाता है तो उक्त यात्री वाहन बिना वैध परमिट के संचालित माना जावेगा तथा उपरोक्त वाहनों से गैर अस्थाई संविदा परमिट वाहन के अन्तर्गत आने वाले यानों के लिए यथासूचित विशेष पथ कर राशि वसूल की जावेगी।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे अन्यथा संबंधित अधिकारी/परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लई जावेगी।

परिवहन आयुक्त एवं
पदन शासन सचिव

कमाक : प 7 (47) परि/नियम/मु0/87/पार्ट–II जयपुर,दिनांक : 25.03.2009

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रादेशिक/अति0 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी .....।
2. समस्त जिला परिवहन अधिकारी .....।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण .....।
4. रक्षित पत्रावली ।

उपायुक्त (नियम)